

16170

APP-A
crim-1

FORM NO. III 2013/00371

फर्द अहकाम (नियम-26)

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा
 अज अदालत नियम
 कमला चौक वनाम चुनाराम चौक
 किसम मुकदमा 88, 188, RTA नं. 136 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17-12-19	<p>वादी/वादीगण की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री. करण सिंह ने अन्तर्गत धारा 88, 188 का पेश किया। जिस पत्र कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी को वाद पत्र के सम्मन मय वाद पत्र की प्रति के जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल जवाबदावा दिनांक 16.1.20 को पेश हो।</p> <p>↓ सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा</p>	
16.1.2020	<p>पत्रावली पेश हुई। वारीगण से वसीत उपस्थित। प्रतिवादीगण से जारी सम्मन बाड तामिल पेश हुये जो शामीत मिलत हो। फाइल 530-538 मय सर्पे में व्यक्त हुये के पत्रावली वास्ते अग्रिम सर्पे नही उपेठ 13.2.2020 से पेश हो।</p> <p>↓ सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा</p>	
13/2/20	<p>पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब अन्य व्यक्तों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 18/2/20 को पेश हो।</p> <p>↓ सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा</p>	
18.3.20	<p>पत्रावली पेश हुई। वसीत वारीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित। वारीगण से शर्तों का उस्तुत कर मिलेदन हुये कि उपरोक्त उकरण में अहकाम के मध्य लोक अदालत की मान्य के लक्ष्यता हो तथा वारीगण को अपना अनुतोष पत्रावली भुजा है, इकलिये वारीगण उन्त उकरण में आच गरा कोई अनुतोष नही पेशी हो।</p>	

No objection
B.R. Singh

अ. त्रि. सांग्रिनी
 अ. त्रि. वमला
 I/O M
 A.M.

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

मौके पर कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का
है। वादीगण फकरण को आगे नहीं
चलाना चाहती हैं। रकबा, इलाका काबत
एतराफ नहीं है।

वादीगण को सुना, पत्रावली
का अवलोकन किया गया, प्रतिवादी के
बकील को वाद पत्र बिक्री करने
में कोई आपत्ति नहीं है।

उत्प्रेषण पत्र वादीगण स्वीकार
कर वाद पत्र जरिये बिक्री शकरीत
किया जाता है।

पत्रावली के तहत शुद्ध डेकर
साबित पत्तर है।

तहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

बताया 0.0 21 11 1998
दिनांक 21 11 1998
1 11 1998